

क्रमांक स-4340 दिनांक 18.03.2020
की पालना में कोरोना वायरस की रोकथाम
है। न्यायालय का कारोवाही स्थगित रखी
गई। पत्रावली आचदा दिनांक 21/7/20
को पेश हो।

10/7/20

कायबंद पत्रावली काद में नोटबैंक होने
के कारण फेंक डिये। मूल काद नोटबैंक
के कायाद पर खादिय होने के कारण
साठ फा 2/2 राम कोचियहीन है इतकिस्के
साठ फा इकी लता पर खादिय किहा
आम है पत्रावली निपटानुकाद राखिल
पदर है।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

श्रीमान जी,
इक्त प्रार्थनापत्र में
पक्षमा (पक्ष) का
राजीनामा हो गप
ह इतकारन आगे
कोई कार्रवाही नहीं
पाईत।

10/7/2020
रिजल्टेजिय